सूचना का अ धकार अ धनियम 2005 की भू मका और परिणामों का अध्ययन

प्रा. कु. एस. आर. शवणकर
राज्यशास्त्र वभाग प्रमुख
कला वा णज्य महिला महा वद्यालय, बल्लारपूर

प्रस्तावना:

1948 में मानव अ धकार संगठन द्वारा सूचना का अ धकार अ धनियम की पुष्टि की गई थी। अनुच्छेद 19 (2) कहता है क सभी को अ भव्यक्ति की स्वतंत्रता का अ धकार है। उनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को यह अ धकार है क वह कसी भी व्यक्ति को वह जानकारी देने के साथ-साथ सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। नागरिक और राजनीतिक अ धकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार, 1966, सूचना के अ धकार का भी प्रावधान करता है। **European Covenant on Human Rights, 1996** का अनुच्छेद 10 कहता है क सभी को राय और अ भव्यक्ति की स्वतंत्रता का अ धकार है; नागरिकों को कसी भी हस्तक्षेप के बिना जानकारी प्राप्त करने और व्यक्त करने का अ धकार है। स्वीडन दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 250 साल पहले अपने नागरिकों को मौ लक अ धकार के रूप में सूचना के अ धकार को लागू कया था।

भारतीय संसद ने 12 मई 2005 को सूचना का अ धकार अ धनियम पारित कया। जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ अनुमोदित कया गया था। साथ ही, 12 अक्टूबर से यह कानून पूरे देश में अस्तित्व में आया। सरकारी काम और प्रशासन की पारद र्शता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लए इस कानून को बनाना आवश्यक था। राजस्थान राज्य से सबसे पहले सूचना का अ धकार अ धनियम की माँग शुरू हुई। इसके लए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लए अरुणा रॉय के नेतृत्व में लेबर एंड फार्मर्स एसो सएशन द्वारा लोक अदालत का आयोजन कया गया था। परिणामस्वरूप, राजस्थान सरकार ने 1 मई, 2000 को कानूनी स्वीकृति दी। ले कन इसे लागू नहीं कर सके। इसी तरह के कानून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त मलनाडु, कर्नाटक, गोवा और असम में बनाए गए थे। यूपीए सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, सूचना का अ धकार अ धनियम 12 मई 2005 को पारित कया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासी संस्थाओं ने इस कानून को लागू कया। यह कानून भ्रष्टाचार को कम करने मे मदतगार साबित हो रहा है। इस शोधपत्र का उद्देश भारत मे सूचना का अ धकार अ धनियम 2005 की भू मका और परिणामों का अध्ययन करना है।

अनुसंधान निबंध के लए प्रयुक्त अनुसंधान व ध:

वर्तमान शोध प्रबंध के लए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को वषय से संबं धत व भन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों से संक लत कया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

1) सूचना का अ धकार अ धनियम **2005** भ्रष्टाचार उन्मूलन मे कैसी भू मका निभाता है इसकी खोज करना।
2) भारत में सूचना का अ धकार अ धनियम **2005** की भू मका का अध्ययन करना।
3) भारत मे सूचना का अ धकार अ धनियम **2005** के दोषों एवं परिणामो का अध्ययन करना।
4) शोध के निष्कर्षों के आधार पर भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने हेतु एवं सूचना का अ धकार अ धनियम **2005** के उ चत कार्यान्वय हेतु सुझाव देना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व:

समाज के **60%** लोग भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं और शेष **40%** लोगों का सरकारी कार्यालयों से कोई संबंध नहीं है। हम भ्रष्टाचार के बढ़ते ज्वार का सामना कर रहे हैं। यह राज्य सरकार के पु लस वभाग में सबसे अ धक है। उसके बाद अदालतों और जमींदारों का नंबर आता है। आज बिहार भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है। केरल में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम है। बिहार के बाद कर्नाटक, राजस्थान, असम, झारखंड, हरियाणा, त मलनाडु, दिल्ली और पंजाब का स्थान है। महाराष्ट्र इस संबंध में बहुत नीचे है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। भ्रष्टाचार का अंदाजीत वा षक आंकड़ा **21068** हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन मामलो का खुलासा कया है। यह सच है क हमारी अज्ञानता भ्रष्टाचार में वृ द्ध का कारण है। इसी लए 'सूचना अ धनियम' लागू कया गया है। यद्य प भ्रष्टाचार को मटाना असंभव है, ले कन निश्चित रूप से इसे कम कया जा सकता है। नागरिकों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के काम में पारद र्शता अ धकारियों और कर्मचारियों को उनके काम से अवगत कराएगी और 'प्रबुद्ध नागरिक' बनाएगी। इस लए सूचना का अ धकार अ धनियम **2005** का उ चत कार्यान्वय और भू मका को जानना जरूरी है। इस दृष्टिकोनसे शोधका वषय महत्वपूर्ण है।

सूचना का अ धकार का अर्थ:

सूचना कसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो सकती है। जिसमें रिकॉर्ड, ब्रोशर, मेमो, ई-मेल, चर्चा - प्रेस, परिपत्र, आदेश, ल खत दस्तावेज, कागजात शा मल हैं। सूचना इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ सांख्यिकीय जानकारी आदि के रूप में हो सकती है। जिसे सार्वजनिक कार्यालय द्वारा प्राप्त कया जाता है। सूचना के अ धकार का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा में सूचना तक नागरिकों की पहुँच। जिसमें निम्न ल खत शा मल हैं।
(1) कार्यों, अ भलेखों, लेखों का निरीक्षण करना। **(2)** कसी भी दस्तावेज या लेख के सत्या पत रिकॉर्ड प्राप्त करना। **(3)** यदि कंप्यूटर और अन्य साधनों के माध्यम से नोटिस लया जा रहा है, तो इसे डस्केट, फ्लॉपी, टेप, वी डयो कैसेट या सीडी के साथ-साथ प्रंटआउट के माध्यम से लया जाना चाहिए।
ऐसे साधनों के माध्यम से सूचना एकत्र करने या साझा करने का अ धकार सूचना का अ धकार है।
कोर्ट की राय में : - भारत के सं वधान के अनुच्छेद **19 (1) C** में न केवल भाषण और अ भव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बल्कि नागरिकों की जानकारी की स्वतंत्रता भी शा मल है। इस लए, इस खंड के माध्यम से कसी भी देश के नागरिकों को सूचना का अ धकार दिया गया था। इस अ धकार की सुरक्षा के लए धारा **19 (1) C** है।

सूचना का अ धकार अ धनियम 2005 की भू मका और परिणाम :

इस आंदोलन की शुरुआत भारत में 1990 में हुई जब राजस्थान के एक गैर-सरकारी संगठन मजदूर कसान शक्ति संगठन (MKSS) ने सूखाग्रस्त जिले में कए गए काम और पेरोल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लए पहल की। राजस्थान और पंचायत अ धनियम के संशोधन के साथ, पंचायतों को अपने बजट, खातों, व्यय, नीतियों और लाभा थयों को अपनी योजनाओं के समाचार पत्रों में या हो र्डग पर प्रका शत करने के लए मजबूर होना पड़ा। 1990 में मजदूर कसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अ धकार के लए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। इससे पहले, सूचना का अ धकार अ धनियम उपभोक्ता शक्षा और अनुसंधान केंद्र, प्रेस परिषद और शौरी स मति द्वारा तैयार कया गया था। 2000 के आसपास महाराष्ट्र में अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन ने राज्य सरकार को सूचना का अ धकार अ धनियम पारित करने के लए मजबूर कया। 2004 में सूचना का अ धकार वधेयक पेश कया गया था। बाद में, महाराष्ट्र के कानून को एक बुनियादी दस्तावेज के रूप में लागू कया गया और केंद्र सरकार द्वारा 'सूचना का अ धकार अ धनियम - 2005' लागू कया गया।

सूचना का अ धकार अ धनियम का उद्देश्य:

1) कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, जाति, लंग और जन्म स्थान के आधार पर इस अ धकार से वं चत नहीं रहना चाहिए। 2) सूचना का अ धकार कसी भी राज्य के व्यक्ति द्वारा प्राप्त कया जा सकता है ले कन भारत के अ धकार क्षेत्र में वो आता हो। 3) नागरिकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। 4) आवश्यकतानुसार एक या एक से अ धक सूचना अ धकारी नियुक्त करना। 5) सूचना का अ धकार एक जागरूक और ज्ञानवान समाज को नागरिक बनने का अ धकार देता है। 6) सूचना के अ धकार के कारण, नागरिकों को यह जानने का अ धकार है क सरकारी कार्यालयों का काम कैसे कया जाता है। 7) आप अपने आवेदन की जानकारी का दावा कर सकते हैं और अन्य आवेदकों की जानकारी प्राप्त करके इसकी तुलना कर सकते हैं। 8) सूचना प्रदान करने में वफलता के मामले में दंडात्मक प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जानकारी प्राप्त करने का अ धकार इसमे है।

सूचना का अ धकार अ धनियम की कार्यप्रणाली का वर्णन:

1) सूचना अ धकारी आवेदक द्वारा कए गए आवेदन के साथ शुल्क स्वीकार करता है। 2) सूचना अ धकारी आवेदन और शुल्क की जाँच करता है। 3) यदि आवश्यक हो तो वह आवेदक को आवेदन लखने में मदद करता है। 4) सूचना अ धकारी आवेदक को शुल्क और आवेदन की पावती देता है। 5) सूचना अ धकारी यदि आवश्यक हो तो आवेदन या मांग को संबं धत प्रा धकारी को हस्तांतरित करता है। 6) सूचना आवेदन में अगर त्रुटी हो तो सूचना अ धकारी आवेदक को ल खत रूप से सू चत करता है। 7) यदि सूचना अ धकारी सूचना देने से इंकार करता है, तो इसके पीछे का कारण और कतने दिनों के भीतर आदेश के खलाफ अपील दर्ज की जा सकती है इसकी जानकारी देता है। वह आवेदक को अपीलीय प्रा धकारी के बारे में और अन्य ववरण के बारे में ल खत रूप में सू चत करता है।

सूचना का अ धकार अ धनियम का प्रारूप - 2005 :

सूचना का अ धकार अ धनियम, 2005 की धारा 1 के तहत, अ धनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। धारा 2 में व भन्न व्याख्याएं शा मल हैं, जिन्हें निम्नानुसार बताया जा सकता है

2 (c) उपयुक्त शासन - इसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी शा मल है।

2 (e) सक्षम प्रा धकारी **-** इसमें लोकसभा **/** वधान सभा के अध्यक्ष, राज्यसभा **/** वधान परिषद के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शा मल हैं।

2 (f) सूचना **-** इसमें दस्तावेज, टिप्प णयां, ई-मेल, प्रति क्रया, सलाह, प्रेस वज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, डायरी, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज प्रपत्र, प्रतिकृतियां, सार्वजनिक प्रा धकरण के लए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अन्य जानकारी आदि शा मल होते हैं।

2 (g) लोक प्रा धकरण **-** इसमें, सं वधान के अनुसार, संसद के अ धनियम के अनुसार, राज्य वधानमंडल के अ धनियम के अनुसार, आदि उपयुक्त सरकार द्वारा स्था पत कए जाते हैं।

2 (i) रिकॉर्ड्स में दस्तावेज़, पांडु ल पयाँ, फ़ाइल माइक्रो फ़ल्म, दस्तावेज़ प्रतियां, इमेजेस और अन्य कंप्यूटर जनित सामग्री शा मल हैं।

2 (j) सूचना का अ धकार **-** एक सार्वजनिक प्रा धकरण द्वारा आयोजित सूचना प्राप्त करने के अ धकार में सर्वेक्षण, टिप्प णयां, प्रमा णत प्रतियां, नमूने शा मल हैं। कंप्यूटर आदि में संग्रहीत जानकारी भी शा मल है।

2 (n) तीसरे पक्ष **-** नागरिकों को छोड़कर सभी प्रा धकरण होते है। इस अ धनियम के तहत, कार्यान्वयन के लए जिम्मेदारी उपयुक्त सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक प्रा धकारियों पर भी है और निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य **/** केंद्रीय सूचना आयोग के पास रहती है।

सूचना के अ धकार के मूल नियम:

अ धक से अ धक जानकारी देना और अपडेट करना जारी रखें जरूरी है। कसी सार्वजनिक प्रा धकरण पर स्वेच्छा से सूचना प्रका शत करने के लए कानूनी दायित्व निर्माण करना। शासन में पारद र्शता और खुलापन निर्माण करना। निर्धारित अव ध के भीतर आवेदन और अपील पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। यह नियम जानकारी देने के लए है, अपवाद जानकारी से इनकार करने के लए है। नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लए एक व्यवहार्य तंत्र वक सत करना। जानकारी के लए उ चत शुल्क लेना जरूरी है। सूचना देखने और नमूने लेने का अ धकार है। जनहित को सर्वोच्च प्राथ मकता है। जिस उद्देश्य के लए जानकारी की आवश्यकता है उसका प्रकटीकरण आवेदक के लए बाध्यकारी नहीं है। अनुरोध के **48** घंटे के भीतर कसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता पर जानकारी प्रदान करने का प्रावधान है। सूचना आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

सूचना का अ धकार अ धनियम का महत्व:

1) देश भर में जागरूक नागरिक और व भन्न नागरिक संगठन सूचना के अ धकार अ धनियम के माध्यम से सरकार को अ धक से अ धक जवाबदेह बनाने की को शश कर रहे हैं। **2)** इस कानून का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण का उपयोग करके जमीनी स्तर पर लोगों के लए सुशासन लाने का एक प्रयास है। **3)** इस अ धनियम के माध्यम से जनता में पारद र्शता, 'जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी' लाने का प्रयास कया जा रहा है। **4)** सूचना के अ धकार के कारण, पारद र्शता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी शब्द का नया अर्थ मला है। सूचना का अ धकार अ धनियम गांधीजी की 'ट्रस्टी शप' की अवधारणा को स्वीकार करता है। इस अवधारणा के अनुसार, शासक सार्वजनिक संस्थानों में जानकारी के मा लक नहीं हैं, बल्कि केवल ट्रस्टी हैं। **5)** वैश्विक स्तर पर सूचना के अ धकार के मुद्दे को उठाने के लए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की भू मका, सू चत नागरिकों के व भन्न कार्य समूहों के साथ-साथ मानव अ धकारों के लए आंदोलन भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

सूचना का अ धकार अ धनियम की भू मका:

आधुनिक युग को लोकतंत्र के युग के रूप में जाना जाता है। उसी समय, लोकतंत्र में, जब लोगों को संप्रभु माना जाता है, तो यह उनका अ धकार है क वे जानकारी प्राप्त करें जो वे चाहते हैं। जिस तरह वधानमंडल **(** वधायक**)** और संसद सदस्य **(**सांसद**)** अपनी मनचाही जानकारी के लए सरकार से सवाल पूछ सकते

हैं। यह उनका वशेषा धकार माना जाता है। सूचना का अ धकार अ धनियम और बाद में सूचना का अ धकार अ धनियम, **2005** के संबंध में देश भर में कई चर्चाएँ और आंदोलन कए है। स्वीडन ने सबसे पहले **1766** में सूचना का अ धकार कानून लागू कया और आज तक लगभग **60** देशों ने इसे लागू कया है। भारत में, श्रीमती अरुणा रॉय, संभागीय आयुक्त श्री हर्ब मंदार, महाराष्ट्र के वरिष्ठ समाज सुधारक श्री अन्ना हजारे ने सूचना के अ धकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश में, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अ धकार अ धनियम, **2003** लागू कया है ता क यह साबित हो सके क यह एक प्रगतिशील राज्य है, जब क अक्टूबर **2005** को केंद्र सरकार ने सूचना का अ धकार अ धनियम, **2005** लागू कया है। परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अ धकार अ धनियम वापस ले लया। महाराष्ट्र की तरह ही, **RTI** अ धनियम को अन्य राज्य सरकारों द्वारा निरस्त कर दिया गया और पूरे भारत में एक समान **RTI** अ धनियम लागू कया गया। है। सूचना का अ धकार अ धनियम, **2005** जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है।

यदि कोई नागरिक सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसके लए पूछ सकता है। एक निर्दिष्ट अव ध के भीतर उसे वह जानकारी प्रदान करना भी अनिवार्य होगा। इस कानून ने साबित कर दिया है क लोग संप्रभु हैं और उन्हें अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त करने का अ धकार है। सूचना अ धनियम को भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे क्रांतिकारी कानून माना जाता है। लोकतांत्रिक प्र क्रया के वकास में कानून का महत्वपूर्ण स्थान है और पछले कुछ वर्षों में, यह कहा जा सकता है क **RTI** ने शासन में कुप्रबंधन पर अंकुश लगा दिया है।

सूचना का अ धकार अ धनियम **- 2005** की कुछ मुख्य वशेषताएं निम्न ल खत हैं। **(1)** सूचना प्राप्त करने के इच्छुक कसी भी व्यक्ति को सूचना का अनुरोध करने का अ धकार है। **(2)** सूचना का अनुरोध करने के लए व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य नहीं है। **(3)** एक नमूना आवेदन, उसका संपर्क पता और रुपये का शुल्क। **(4)** यदि कसी नागरिक ने जीवन की स्वतंत्रता के वषय में जानकारी का अनुरोध कया है, तो वह उसे ४ घंटों के भीतर प्रदान करने के लए बाध्य है। **(5)** यदि कसी नागरिक द्वारा सामान्य जानकारी का अनुरोध कया जाता है, तो ऐसी सूचना केवल तीस दिन पहले देना अनिवार्य है। **(6)** यदि कसी व्यक्ति ने सहायक सूचना अ धकारी को सूचना के लए आवेदन जमा कया है और आवेदन को प्रधान कार्यालय को भेजना है, तो पांच दिनों की अतिरिक्त अव ध दी जा सकती है। लोक सूचना अ धकारी के निर्णय को तीस दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्रा धकारी के पास अपील की जा सकती है। यदि कोई अ धकारी गलत सूचना देकर गुमराह करता है, तो सार्वजनिक सूचना अ धकारी के खलाफ कार्रवाई की जा सकती है। **(7)** सूचना के अ धकार में कार्य का अवलोकन या निरीक्षण भी शा मल है। **(8)** सूचना के लए आवेदन जमा करने के समय से पहले सूचना उपलब्ध कराने में वफलता के लए दंड का प्रावधान कया गया है। **(9)** अपीलीय प्रा धकारी के निर्णय के खलाफ सूचना आयुक्त के पास नब्बे दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। इस तरह, सूचना के अ धकार की मुख्य वशेषताओं को समझाया जा सकता है और इस अ धकार ने शासन में मनमानी प्रवृत्ति को नियंत्रीत कया है।

उत्तर प्रदेश और राज नारायण के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कया है क सूचना देना और प्राप्त करना एक नागरिक का मौ लक अ धकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सं वधान लोगों को संपूर्ण जानकारी का अ धकार देता है। यह अ धकार अंतिम नहीं है। इसे कभी-कभी जनहित में रोका जा सकता है। इस अ धनियम के तहत, प्रशासन के पास आदेश, पारद र्शता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की नीति है। इस अ धनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लए, सूचना आयुक्त और इसी तरह के पद राज्य और जिला स्तर के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग के तहत ब्लॉक स्तर पर स्था पत कए गए हैं। आपको सूचना अ धकारी के पास आवेदन करना होगा गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों से शुल्क नहीं लया जाता है। इसके लए धारा **6** और **7** **(5)** में प्रावधान कया गया है। सूचना अ धकारी को **30** दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। यदि

सूचना जीवन या मृत्यु से संबं धत है, तो ऐसी सूचना **48** घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। यह धारा **(7) (1)** में प्रदान कया गया है।

यदि सूचना आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो सूचना अ धकारी संबं धत आवेदक को ऐसा नोटिस देने के लए बाध्य है। इस कारण से, अस्वीकृति का कारण, कार्यालय, अस्वीकृति का समय और साथ ही सूचना अ धकारी को देना अनिवार्य है। सूचना के अ धकार अ धनियम के तहत, न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, बल्कि स्थानीय स्व-शासन निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को भी जानकारी प्रदान करनी होगी। यदि सूचना अ धकारी समयबद्ध तरीके से सूचना देने में सक्षम नहीं है और आवेदक नोटिस से संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक इस तरह के आदेश के **30** दिनों के भीतर एक उच्च प्रा धकारी को अपील कर सकता है और केंद्रीय सूचना अ धकारी या राज्य सूचना अ धकारी तय कर सकता है क ऐसी सूचना उ चत है या नहीं। आवेदन **30** दिनों के भीतर संसा धत कए जाने हैं। इसकी अ धकतम अव ध **45** दिन तक है। यदि सूचना अ धकारी के साथ-साथ अपीलीय प्रा धकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, या यदि इस तरह के आवेदन को बिना कसी कारण के अस्वीकार कर दिया जाता है, या यदि यह बहुत कम या कोई जानकारी नहीं देता है, तो ऐसे अ धकारी के खलाफ सरकारी कार्रवाई की जाती है। एक अ धकारी जो बिना कसी कारण के जानकारी प्रदान करता है, उस पर प्रति दिन **250** रुपये और अ धकतम **25,000** रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

कुछ सूचनाओं को इस अ धनियम के क्षेत्रा धकार से बाहर रखा गया है। क्यों क यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभा वत कर सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लए और वैज्ञानिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इस प्रकार के सूचनाओं को आरटीआई अ धनियम से अलग रखा गया है। राष्ट्रीय हित को खतरे में डालने वाली जानकारी देने के लए कसी से अनुरोध या आवेदन नहीं कया जा सकता है। यदि कॉपीराइट अ धनियम के उल्लंघन में कसी भी नोटिस या सूचना का अनुरोध कया जाता है, तो वह जानकारी धारा **8** के तहत इस अ धनियम के लए एक अपवाद होगी, ले कन इसमें सरकारी कॉपीराइट शा मल नहीं होगा। आवेदक को कारण और व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। आपको बस अपना नाम और पता दर्ज करना होगा। सूचना का जो हिस्सा सार्वजनिक कया जाना है, उसका अनुरोध आरटीआई में कया जा सकता है। हालां क, अगर इसका कुछ हिस्सा ऐसी जानकारी के दायरे में नहीं आता है, तो यह संबं धत प्रा धकरण ऐसी जानकारी प्रदान करने के लए बाध्य नहीं है।

सूचना का अ धकार अ धनियम में दोष:

लोक सूचना अ धकारी और अपीलीय प्रा धकारी की जिम्मेदारी है क वे तय समय के भीतर प्राप्त आवेदन पर जानकारी प्रदान करें या न करें और इसका कारण बताएं। ले कन कानून ऐसे अ धकारी की सटीक भू मका को निर्दिष्ट नहीं करता है। एक अ धकारी जो अपनी ड्यूटी करने में वफल रहता है, उसे दं डत कया जाता है, ले कन अगर वह अ धक गैरजिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करता है, इस लए उसके खलाफ मुकदमा चलाने के लए कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

निष्कर्ष:

अध्ययन में पाया गया क, सूचना का अ धकार अ धनियम के उ चत कार्यान्वयन और प्रवर्तन से भारत में भ्रष्टाचार और नौकरशाही में बहुत कमी आयी है। यह प्रशासन में पारद र्शता और जवाबदेही के सद्धांत को भी बना रहा है। इस लए, भारतीय नागरिकों को स्वयं के माध्यम से मी डया की स्वतंत्रता में योगदान देना होगा। ऐसा इस लए है क्यों क **1923** की सूचना के अ धकार अ धनियम के आधार पर सूचना का अ धकार अ धनियम को वक सत कया गया है। सूचना का अ धकार अ धनियम व्यक्तियों के अ धकारों के लए महत्वपूर्ण हो गया है।

सूचना का अ धकार अ धनियम प्रवर्तन अ धकारियों द्वारा उनको दी गई शक्तियों का लाभ उठाने की को शश के रूप में देखा जाता है। इस लए भारत मे नौकरशाही का चलन अ धक से अ धक बढ़ा है।

सुझाव:

नागरिकों को सूचना के अ धकार के बारे में बताया जाना चाहिए। यह कानून तभी प्रभावी रूप से काम कर सकता है जब सरकार इस कानून के बारे में देश की जनसंख्या को श क्षत या श क्षत करे। भले ही आज भारत में शक्षा में बहुत प्रगति हो रही है, ले कन लोगों को ऐसे कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, इस लए उन्हें अपने बीच जागरूकता पैदा करने के लए टीवी, रे डयो, समाचार पत्रों आदि का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा। साथ ही, प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करना चाहिए। यदि इस प्रणाली में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जाता है, तो यह कानून लोकतांत्रिक वकास को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

ग्रंथ सूची:

1) **S. R. Kaneja, A Practical Handbook On Right To Information Act, 2005, The Book Line (1 January 2011)**
2) **P. K. Das, Handbook on the Right to Information Act, 2005, Universal Law Publishing Co Ltd; Edition (1 August 2005)**
3) एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था - स वल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षा हेतु, संस्करण प्रथम
4) एच. एन. कुशवाहा, सूचना का अ धकार अ धनियम **2005,** ग्रीन लीफ पब्लिकेशन **(1** जनवरी **2013)**

समाचार पत्र: नवभारत, लोकमत, टाइम्स ऑफ इं डया

वेबसाइट:

- ***https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf***
- ***https://hi.wikipedia.org/wiki/***
- ***https://www.nic.in/rti/***